सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 2557 के आगामी पत्र - पृष्ठ संख्या 01

प्रश्न सं. [क्र. 2557]

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय कलेक्टर, जिला रतलाम

क्रमांक / 234 / रीडर-1 / 2021 रतलाम, दिनांक / 12 / 2021
25-1-2022

प्रति,

प्रमुख, राजस्व आयुक्त,
म0प्र0 शासन,
राजस्व विभाग, भोपाल

विषयः- ग्राम पिपलौदा में स्थित सर्वे क्रमांक 1778, 1779/1, 1779/2, 1780 कुल रकबा 1.242 हेक्टेयर भूमि के संबंध में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 57(2) के अंतर्गत निराकरण एवं आगामी कार्यवाही के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत उपायुक्त (राजस्व) उज्जैन संभाग उज्जैन के आप क्रमांक 9122/शिकायत/7/2000 दिनांक 16.11.2000 से प्राप्त निर्देश के परिपालन में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर कस्बा पिपलौदा जिला रतलाम की भूमि सर्वे क्रमांक 1778, 1779/1, 1779/2, 1780 संबंधितों को जिनिंग फेक्ट्री के उपयोग के विपरीत करने के कारण संहिता की धारा 182(2) के तहत पट्टा की शर्त/निबंधन का उल्लंघन होने पर स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध की गई।

अपर कलेक्टर दर्शित हैं कि रतलाम द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर जांच प्रचलित की गई। जांच उपरान्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया कि यह दर्शित होता है कि कस्बा पिपलौदा जिला रतलाम की प्रश्नाधीन विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1778 रकबा 0.92 एकड़ एवं सर्वे क्रमांक 1779/1, 1779/2, 1780 रकबा 0.74 एकड़ कुल रकबा 1.66 एकड़ था जिसका सर्वे क्रमांक वर्ष 1929-30 से लगाकर वर्ष 1957-58 बन्दोबस्त तक सर्वे क्रमांक 1820 रकबा 0.92 एकड़ कुल रकबा 1.66 एकड़ तथा बंदोबस्त बाद प्रश्नाधीन भूमि का नवीन सर्वे क्रमांक 1491 रकबा 0.016 हेक्टर व सर्वे क्रमांक 1492 रकबा 1.226 कुल रकबा 1.242 हेक्टर भूमि के संबंध में विनिश्चय के लिए राज्य सरकार ही संहिता की धारा 57(2) के अंतर्गत निराकरण करने के लिए सक्षम है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अंतिम विनिश्चय हेतु म.प्र. शासन राजस्व विभाग, भोपाल को भेजा जाना विधिसंगत होगा की अनुशंसा की गई।

अतः अपर कलेक्टर द्वारा की गई जांच एवं अनुशंसा के आधार पर संहिता की धारा 57(2) के अंतर्गत निराकरण एवं आगामी कार्यवाही हेतु मुल प्रकरण एवं नस्ती पत्र के संलग्न संप्रेषित।

संलग्न :- 1. भाग एक प्रकरण क्रमांक 02/स्वमेव निगरानी/15-16, पृष्ठ-क्रमांक 01 से 213 तक,
2. भाग दो प्रकरण क्रमांक 13/स्वमेव निगरानी/03-04, पृष्ठ क्रमांक 01 से 41 तक,
3. भाग तीन नस्ती,
4. भाग चार नस्ती,

(एम.एल. आर्य)
अपर कलेक्टर
जिला रतलाम (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
राजस्व (शाखा-5) विभाग
म.प्र. शासन

Order Sheet 2013

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

तारांकित प्रश्न क्र. - 2557 परिशिष्ट - 'ब'

(21)

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ–भवन

क्रमांक एफ. 16–64/2016/सात/शा.2 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2019

:: ज्ञापन ::

1/– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक–20 सन् 1959) में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक–23 सन् 2018) के द्वारा संशोधन किये गये हैं। संशोधन के पूर्व संहिता की धारा 57 (2) निम्नानुसार रही है:–

> "जहॉं राज्य सरकार तथा किसी व्यक्ति के बीच उपधारा (1) के अधीन के किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हों, वहॉं ऐसा विवाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चिय किया जाएगा।"

2/– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम, 2018 के अंतर्गत संहिता की धारा 57 की उपधारा (2) विलोपित की गयी है। संहिता की धारा–57 की उपधारा (2) के विलोपन के बाद यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि उन मामलों का क्या होगा जो संहिता की धारा 57 (2) के अधीन संशोधन अधिनियम, 2018 के प्रभाव में आने की दिनांक को राज्य सरकार के समक्ष लंबित थे?

3/ सिविल प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अनुसार सिविल न्यायालयों को उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता है। संहिता की धारा 257 सहपठित धारा 57 की उपधारा (2) के कारण धारा 57 की उपधारा (1) के अंतर्गत उद्भूत विवाद के संबंध में सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित था, परन्तु धारा 57 की उपधारा (2) के विलोपन के उपरांत सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक हट गयी है और अब ऐसे विवादों का विनिश्चय सिविल न्यायालयों द्वारा किया जा सकेगा।

4/– संहिता की धारा 57 की उप धारा (1) का परन्तुक किसी व्यक्ति के भूमि में के ऐसे अधिकारों को सुरक्षित करता हैं जो संहिता के प्रभावशील होने की तिथि को विद्यमान थे। धारा 57 की उपधारा (2) के द्वारा उक्त ऐसे अधिकारों के विषय के विवाद के विनिश्चय के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 57 की उपधारा (2) किसी व्यक्ति को कोई अधिकार या विशेषाधिकार (right or privilege) प्रदान नहीं करती थी, वरन् मात्र विवाद के निपटारे के लिये एक प्रावधान करती थी। संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा धारा 57 की उपधारा (1) में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया है। संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा किसी व्यक्ति के कोई अधिकार समाप्त नहीं किये गये हैं। अतः मध्यप्रदेश जनरल क्लाजिज एक्ट, 1957 (Madhya Pradesh General Clause Act, 1957) की धारा 10 के संदर्भ में–

(क) किसी अधिकार या विशेषाधिकार; या

(ख) ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार के विषय में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार

की कोई व्याप्ति (सेविंग्स) का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

Collector letter

अनुभाग अधिकारी,
राजस्व (शाखा-5) विभाग
म.प्र. शासन

(7)

धारा 57 की उपधारा (2) के विलोपन के फलस्वरूप केवल ऐसे अधिकारों के विषय में उद्भूत विवादों के विनिश्चय करने का राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार समाप्त किया गया है जो अब सिविल न्यायालयों में वेष्ठित है, जैसा कि ऊपर कण्डिका–3 में स्पष्ट किया गया है।

5/ अतएव् ऐसे सभी मामले जो कि राज्य सरकार के समक्ष धारा 57 की उपधारा (2) के अंतर्गत लंबित है, क्षेत्राधिकार के अभाव में स्वतः समाप्त हो गये हैं।

23/1/19

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्र0एफ. 16–64/2016/सात/शा.2

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर।
4. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर।
5. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।
6. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.शासन, भोपाल
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
राजस्व (शाखा-5) विभाग
म० प्र० शासन

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Scanned with OKEN Scanner